BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 23 of 2023

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 75 OF 2023

IN THE MATTER OF:

JAISHREE BANSAL …………APPLICANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD & ORS. ……..RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 29.01.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 08.07.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	

3.	**COPIES OF THE LETTER DT. 26.09.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-2.**	
4.	**COPIES OF THE LETTERS DT. 30.09.2024, 23.01.2025, 12.03.2025, 03.04.2025, 16.04.2025 AND 24.04.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-3 TO ANNEXURE A-8.**	
5.	**COPY OF THE WORK ORDER DT. 10.01.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-9.**	
6.	**COPY OF THE REPORT DT. 02.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-10.**	
7.	**COPY OF THE LETTER DT. 05.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-11.**	
8.	**COPY OF THE LETTER DT. 06.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-12**	

DATE: 08.05.2025

PLACE: LUCKNOW

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 23 /2023

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 75 /2023

NOTARY Ambrish Kumar Advocate & Notary Tehsil Sadar, Lucknow Regd. No. 34(86)2009 GOVT. OF U.P. INDIA NOTARIAL NOTARIAL

IN THE MATTER OF:

JAISHREE BANSAL ....APPLICANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL & OTHERS ....RESPONDENT(s)

NOTARY Ambrish Kumar Advocate & Notary Tehsil Sadar, Lucknow Regd. No. 34(86)2009 GOVT. OF U.P. INDIA

REPLY ON BEHALF OF STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 29.01.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Kalyan Banerjee aged about 59 years S/o Late Sri Debidass Banerjee, presently posted as Joint Secretary, U.P. Govt., do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

Sworn & verified before me.
8/5/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi Lucknow

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER:

3. That in the present matter, the Tribunal is considering the issue of handing the solid waste in the village of Jagjeevanpur, Pargana Jalalabad, District Ghaziabad, and how to remediate the Jagjeevanpur dump site.

NOTARY
Ambrish Kumar
Advocate & Notary
Tehsil Sadar, Lucknow
Regd. No. 34(86)2009
GOVT. OF U.P. INDIA

4. That the present matter was last listed for hearing on 29.01.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

"6. Hence, we direct the State of U.P. to do the needful within 4 weeks and file the action taken report, particularly disclosing (i) the utility of the present Jagjeevanpur site after merging and the extent of waste being received for processing and its adequacy and (ii) prospective plan/proposal contemplated waste to energy plant."

Sworn & verified before me.
08/5/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi Lucknow

5. That in compliance of the aforementioned order, the response on behalf of State of U.P. is herein as under.

II. PRIOR SUBMISSIONS:

6. That it is relevant to submit that earlier affidavits dt. 01.10.2024 ***(Refer @ Page No. 606 Of the Judicial Record)*** and dt. 25.01.2025 ***(Refer @ Page No. 706 Of the Judicial Record)*** on behalf of the District Magistrate, Hapur were filed before this Hon'ble Tribunal. That the said affidavits state that various meetings have been held by the District Magistrate, Hapur with the villagers of Galand and Pipalhaida village. That the meetings were held for the land in question upon which the WTE Plant is proposed to be constructed for the treatment of the municipal solid waste of the district Ghaziabad.

That the points/reasons stated by the villagers of village Galand and village Pipalhaida, and Jan Kalyan Kisan Samiti in support of their objections are as under :-

i. That the population of village Galand and village Pipalhaida is around 40,000- 45,000, and the WTE Plant is approximately 1.5 kms away from the mam residential area of village Galand and 0.5 kms away from the main residential area of village Pipalhaida.

ii. Currently the plotting in both the villages has reached near the land wherein the construction of the WTE Plant is proposed.

NOTARY
Ambrish Kumar
Advocate & Notary
Tehsil Sadar, Lucknow
Regd. No. 34(86)2009
GOVT. OF U.P. INDIA

Sworn & verified before me
A. 8/5/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi Lucknow

iii. The land for the plant is only 60 mtrs. (approximately) away from Gang Nahar.

iv. The construction of the WTE Plant will pollute the soil, water and cause air pollution which may lead to severe health issues in the villagers of both the villages and children.

v. The construction may lead to the contamination of the Upper Ganga Canal.

vi. For the disposal of the solid waste of the district Ghaziabad, instead of constructing the WTE Plant in Ghaziabad, the plant is being constructed in District Hapur.

vii. Initially, the construction of the plant was proposed to be constructed in Dhundaheda, Ghaziabad. However, the construction was shifted in district Hapur, in near proximity of the residential area of both the villages, educational institutions, the Gang Nahar and religious sites.

viii. The construction of the WTE Plant for treatment of the waste generated in other district being carried out in district Hapur is unfair to the residents of the village Galand and village Pipalhaida. The opposition of the construction of the Waste-to-Energy Plant is being done by the villagers since 2008. . However, the authorities are adamant in constructing the WTE Plant for treatment of waste generated from district Ghaziabad, in District, Hapur within the

NOTARY
Ambrish Kumar
Advocate & Notary
Tehsil Sadar, Lucknow
Regd. No. 34(86)2009
GOVT. OF U.P. INDIA

Sworn & verified
before me.
1.8/5/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi Lucknow

close proximity of the residential area of village Galand and village Papalhaida.

III. CORRESPONDENCE BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION, GHAZIABAD:

7. That regarding the establishment of the Waste to Energy Plant in the Galand and Pipalhaida Village, the Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal Corporation has written a letter dt. 08.07.2024 to the Principal Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow. That vide the said letter it has been informed to commence the work of establishing a Waste-to-Energy Plant at Village Galand and Village Pipalheda, essential cooperation and substantial police force will be required. Hence, vide the said letter it was requested to issue instructions at the government level to the District Magistrate and Superintendent of Police, Hapur, to commence the work for setting up the Waste-to-Energy Plant at Village Galand and Village Pipalheda and extend the necessary cooperation.

A Copy of the letter dt. 08.07.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-1.**

NOTARY
Ambrish Kumar
Advocate & Notary
Tehsil Sadar, Lucknow
Regd. No. 34(86)2009
GOVT. OF U.P. INDIA

Sworn & verified before me.
8/5/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi Lucknow

IV. DIRECTIONS/ FOLLOW-UPS WITH THE CONCERNED AUTHORITIES:

8. That another letter dt. 26.09.2024 has been written by the Additional Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh to the District Magistrate, Ghaziabad / Hapur and Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad. That vide the said letter it has been directed to the concerned authorities to ensure the desired action in the matter and furnish a report of the action taken to the State Government.

   A Copy of the letter dt. 26.09.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-2.**

9. Subsequent to the letter aforementioned letters, the Joint Secretary, Government of Uttar Pradesh has written a letter dated 30.09.2024 to the:
   - Director, Directorate of Urban Local Bodies, U.P., Lucknow;
   - State Mission Director, Swachh Bharat Mission (Urban);
   - District Magistrate, Hapur;
   - Superintendent of Police, Hapur; and
   - the Municipal Commissioner, Ghaziabad,

   to ensure necessary action in the matter. That a compliance report was sought, which was not submitted, prompting repeated follow-ups. Further letters dated 23.01.2025, 12.03.2025, and 03.04.2025 were sent to the same

NOTARY Ambrish Kumar Advocate & Notary Tehsil Sadar, Lucknow Regd. No. 34(86)2009 GOVT. OF U.P. INDIA

Sworn & verified before me. 8/5/25 AMBRISH KUMAR ADVOCATE & NOTARY Vill. Devi Ganj, Ansiya Adampur Janubi Lucknow

authorities reiterating the urgency and emphasizing the need for immediate compliance. Subsequently, on 16.04.2025 and again on 24.04.2025, the Joint Secretary addressed additional letters to the above-mentioned officers, including the Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, instructing them to prioritize the issue and furnish compliance reports without delay. These correspondences demonstrate the State Government's consistent emphasis on expeditious and coordinated action regarding the matter.

Copies of the letters dated 30.09.2024, 23.01.2025, 12.03.2025, 03.04.2025, 16.04.2025, and 24.04.2025 have been annexed herewith as **ANNEXURES A-3 to A-8.**

V. <u>STATUS REPORT OF GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION:</u>

10. That it is pertinent to state that a report dt. 02.05.2025 has been provided by the Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal Corporation to the Joint Secretary, Urban Development Section-5, Government of Uttar Pradesh. That the said report states as under:

That the current actions taken by the Ghaziabad Municipal Corporation are as follows:

a. The Horticulture Department is developing a buffer zone by planting saplings along the outer periphery of the subject land. So far, 17,000

NOTARY Ambrish Kumar Advocate & Notary Tehsil Sadar, Lucknow Regd. No. 34/(86)2009 GOVT. OF U.P. INDIA

Sworn & verified before me. 28/5/25 AMBRISH KUMAR ADVOCATE & NOTARY Vill. Devi Ganj, Anaiya Adampur Janubi Lucknow

saplings have been planted and fenced; remaining planting is in progress.

b. A tender for boundary wall construction on the subject land was invited on 26.11.2024, and the work order was issued on 25.01.2025. Execution is pending availability of police protection at the site.

c. That vide letter dt. 27.04.2025, the Vice Chairman, GDA, requesting an inquiry and removal of unauthorized constructions near the 44.25-acre site in Galand that are obstructing the buffer zone required for the Waste-to-Energy Plant.

d. On 06 August 2024, the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad held discussions with the villagers and encouraged them to visit operational Waste-to-Energy plants in Delhi, Indore, and other states. However, no positive response was received from the villagers. A meeting was also convened under the chairpersonship of the then Divisional Commissioner with Hapur district administration and villagers, but a permanent solution could not be reached.

NOTARY
Ambrish Kumar
Advocate & Notary
Tehsil Sadar, Lucknow
Regd. No. 34(86)2009
GOVT. OF U.P. INDIA

11. Consequently, in compliance of the directions of the Hon'ble Tribunal, the Municipal Corporation submitted as under:

Sworn & verified before me.
8/9/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj. Anaiya
Adampur Janubi Lucknow

a. The legacy waste accumulated at Jagjeevanpur Site-1 (amounting to 2.50 lakh metric tonnes) was processed and disposed of by the concerned firm during June/July 2024. However, due to the absence of an alternative site for the collection and windrow processing of the fresh municipal solid waste (approximately 1600–1700 TPD) generated within the limits of Ghaziabad Municipal Corporation, the land vacated post-processing of the legacy waste at Site-1 has been merged into Jagjeevanpur Site-2 for the purpose of fresh waste collection and its processing through the windrow method. This was also noted, after due inspection, by the Central Pollution Control Board in its letter dated 16.08.2024.

b. That the Municipal Corporation, Ghaziabad through an e-tender process, selected a new firm for solid waste processing and issued a **work order on 10.01.2025**. That the capacity of the said processing plant is 900 TPD. The scope of work for the selected firm also includes the responsibility of **providing land**. The firm has obtained Consent to Establish (CTE) from the Regional Pollution Control Board on 05.04.2025 and has initiated the installation of necessary machinery for the processing plant.

A Copy of the Work Order dt. 10.01.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-9.**

NOTARY Ambrish Kumar Advocate & Notary Tehsil Sadar, Lucknow Regd. No. 34186/2009 GOVT. OF U.P. INDIA

Sworn & verified before me.
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi Lucknow

c. That for the successful disposal of solid waste generated within Ghaziabad, and in view of the short-term action plan, a processing plant with a capacity of 900 TPD has already been established in village Dhabarsi. Further, for the inert waste produced after processing, a bilateral agreement has been executed with the Greater Noida Authority for the use of the SLF (Sanitary Landfill Facility) located in village Astauli.

12. That the report further states that for effective long-term solid waste management, it is imperative that the Ghaziabad Municipal Corporation is immediately granted possession of the previously designated site for solid waste management i.e. 44.25 acres of land located in Village Galand, District Hapur, so that a modern, technology-based Waste-to-Energy plant may be established there. In the event that possession of the said designated site cannot be secured, it is essential that an alternative 45-acre parcel of land be made available elsewhere within Ghaziabad district at the earliest. A Copy of the report dt. 02.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-10.**

VI. LATEST COMMUNICATION:

13. That recently, the Joint Secretary, Government of Uttar Pradesh has written another letter dt. 05.05.2025 to the:

NOTARY Ambrish Kumar Advocate & Notary Tehsil Sadar, Lucknow Regd. No. 34(66)2009 GOVT. OF U.P. INDIA

Sworn & verified before me. 8/5/25
AMBRISH KUMAR ADVOCATE & NOTARY Vill. Devi Ganj, Anaiya Adampur Janubi Lucknow

- District Magistrate, Hapur
- Superintendent of Police, Hapur

That vide the said letter, it has been directed to the concerned authorities to take all necessary action is taken regarding the possession of 44.25 acres of land in Village Galand for the establishment of the Waste-to-Energy Plant, in compliance with the Hon'ble Tribunal's direction and to kindly furnish a report of the action taken to the Government.

A Copy of the letter dt. 05.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-11.**

VII. REPORT BY THE SUPERINTENDENT OF POLICE, HAPUR:

14. That furthermore, in response to the aforementioned letter, the Superintendent of Police, Hapur has provided with a report dt. 06.05.2025 to the Joint Secretary, Urban Development Section-6, Government of Uttar Pradesh, Lucknow. That the said report states as under:

i. That as per the report received from the Circle Officer, Pilkhua, District Hapur, regarding the establishment of a Waste-to-Energy Plant by Ghaziabad Municipal Corporation in the villages of Galand and Piplehra, a meeting was held on 18.10.2024 at the Collectorate

NOTARY Ambrish Kumar Advocate & Notary Tehsil Sadar, Lucknow Regd. No. 34/86/2009 GOVT. OF U.P. INDIA

Sworn & verified before me. 8/5/25 AMBRISH KUMAR ADVOCATE & NOTARY Vill. Devi Ganj ... Adampur Janubi ... Lucknow

Hall, Hapur, under the chairmanship of the District Magistrate, Hapur. Members of the Galand and Piplehra village and the Jan Kalyan Committee of Galand participated in the meeting. In the meeting, the villagers and the Jan Kalyan Committee expressed strong opposition to the establishment of the Waste-to-Energy Plant.

ii. That in response to the instructions received from the Municipal Commissioner of Ghaziabad, the District Magistrate and Superintendent of Police, Hapur encouraged the villagers to visit other locations in the country and states where Waste-to-Energy Plants have been established, to understand the provisions of the project. Efforts were made by the District Magistrate and Superintendent of Police, Hapur to explain the benefits and advantages of the plant, but the villagers remained unconvinced. It is also noteworthy that there were previous protests against the attempt to set up a dumping ground in the Galand village, where boundary walls were demolished. Currently, there is significant opposition to setting up a dumping ground at the same location, with strong political involvement expected. In such a situation, both from a legal and law and order perspective, it would not be appropriate to make a decision regarding the dumping ground.

NOTARY
Ambrish Kumar
Advocate & Notary
Tehsil Sadar, Lucknow
Regd. No. 34(86)2009
GOVT. OF U.P. INDIA

Sworn & verified
before me.
8/5/23
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi Lucknow

iii. Considering these facts, it seems justifiable to decide on setting up a dumping ground in another location within Ghaziabad. If, at any point, police force is required to maintain law and order during the establishment of the Waste-to-Energy Plant by Ghaziabad Municipal Corporation, sufficient police force will be made available as per the passed orders for maintaining law and order. That the Superintendent of Police, Hapur has directed the Circle Officer of Pilkhua, District Hapur, and the Station Officer of Pilkhua/Dhaulana, Hapur, to convene a meeting for necessary actions in this regard.

iv. It has also been informed that the President of the Jan Kalyan Kisan Welfare Committee, Raju alias Rajeev Tomar, along with other individuals, has filed a Public Interest Litigation (PIL) No. 2281/2021 before the Hon'ble High Court of Allahabad, which is currently under consideration. The next hearing date in the case is 09.07.2025. It is further states that it is appropriate that necessary actions shall be taken as per the orders passed in the aforementioned PIL filed in the Hon'ble High Court of Allahabad.

A Copy of the report dt. 06.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-12.**

NOTARY Ambrish Kumar Advocate & Notary Tehsil Sadar, Lucknow Regd. No. 34186/2009 GOVT. OF U.P. INDIA

Sworn & verified before me 8/5/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Amaiya
Adampur Janubi Lucknow

15. That the above facts demonstrate that the State Government has taken consistent, sincere, and coordinated steps in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal. Several inter-departmental communications, site inspections, public consultations, and follow-up actions have been undertaken to ensure effective waste management and site remediation in the region. The establishment of the Waste-to-Energy Plant is being pursued with due consideration of public concerns and directions of this Hon'ble Tribunal.

16. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

17. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

NOTARY Ambrish Kumar Advocate & Notary Tehsil Sadar, Lucknow Regd. No. 34/86/2009 U.P. INDIA

DEPONENT

Sworn & verified before me.
8/5/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi Lucknow

VERIFICATION

Verified at LUCKNOW on this 08th day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 17 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
Ambrish Kumar
Advocate & Notary
Tehsil Sadar, Lucknow
Regd. No. 34186/2009
GOVT. OF U.P. INDIA

Sworn & verified before me.
8/5/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow

08/05/25
I identify the deponent/executant who has signed/put T.I. before me.

554

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाषः 0120-2790425, 2713580 ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 172/न0आ0/2024 दिनांकः 08/07/2024

प्रेषकः

नगर आयुक्त,
नगर निगम गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः ग्राम गालन्द व ग्राम पिपलहैड़ा में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत उत्सर्जित होने वाले 1600-1700 एमटी ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है जिसका मुख्य कारण भूमि की अनुपलब्धता है। भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र सं0 1808/न0आ0/2023-24 दिनांक 25.11.2023 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 11 के उप नियमएवं नगर विकास अनुभाग-5 के द्वारा दिनांक 29 जून 2018 के शासनादेश संख्याः 2221/नौ-5-18-352सा/2016 में उल्लेखित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन निति का प्रख्यापन के अनुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 3451/एस0टी0-डी0एम0/2023 दिनांक 02.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि यदि भूमि का विनिमय किया जाना संभव नहीं है तो 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राथमिक तौर पर लगभग 200 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी।

तदोपरान्त जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के पत्र सं0-761/सात-डीएलआरसी/2024 दिनांक 28.06.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव महोदय नगर विकास विकास अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या 2221/नौ-5-18-352सा/2016 दिनांक 29.06.2018 के बिन्दु संख्या 5(पप) (प) जिलाधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व में उल्लेखित है कि जिलाधिकारी, राज्य नगर विकास विभाग के सचिव के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम के उपनियम (एफ) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण इकाई सैनेटरी लैण्डफिल की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध करायेंगे तथा उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी हापुड़ से समन्वय स्थापित कर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जनपद हापुड़ को नगर निगम गाजियाबाद के पत्र सं0 151/न0आ0/2024 दिनांक 29.06.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत उत्सर्जित होने वाले 1600-1700 एमटी ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है जिसका मुख्य कारण भूमि की अनुपलब्धता है। गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण हेतु वर्ष 2018 में ग्राम गालन्द जिला हापुड में 44.25 एकड भूमि अधिकृत कर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किये जाने हेतु नीदरलैण्ड की कम्पनी मैसर्स जी0सी0 इण्टरनेशनल के साथ शासन स्तर पर अनुबन्ध किया गया। यह अनुबन्ध क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पर आधारित है जिसमें जनपद हापुड़ का भी ठोस अपशिष्ट का भी निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है किन्तु भारी जन-विरोध होने के कारण उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण आदि का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में 01 वाद मा0 उच्चतम न्यायालय एवं 04 वाद

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन है। वर्तमान में फर्म मैसर्स जिरोन इन्जी0 प्रा0लि0 द्वारा ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु पाईप लाईन रोड पर कार्य किया जा रहा है किन्तु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण से उक्त स्थल पर भी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां यह भी अवगत कराना कि इन्दिरापुरम जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में है उनका ठोस अपशिष्ट भी नगर निगम के द्वारा ही निस्तारण हेतु प्राप्त किया जाता है जिस हेतु ग्राम गालन्द व ग्राम पिपलहैड़ा में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना का कार्य आरंभ करने हेतु आवश्यक सहयोग व भारी मात्रा में पुलिस बल की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि ग्राम गालन्द व ग्राम पिपलहैड़ा में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना का कार्य आरंभ कराने व आवश्यक सहयोग हेतु जिलाधिकारी, हापुड़ एवं पुलिस अधीक्षक, हापुड़ को शासन स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

08/07/24

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

संख्या-एन.जी.टी.-540/81-7-2024

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- जिलाधिकारी,
गाजियाबाद /हापुड।

2- नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 2024

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Execution Application No. 23/2023 IN Original Application No. 75/2023 (I.A. No. 645/2023) Jaishree Bansal Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board में पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Execution Application No. 23/2023 IN Original Application No. 75/2023 (I.A. No. 645/2023) Jaishree Bansal Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board में पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

> *"...10. The District Magistrate, Ghaziabad has also filed the action taken report stating that 44.25 acres of land was made available to the Municipal Corporation, Ghaziabad in Village Galand and Village Pipalhaida and that there was a public agitation at Galand. The report further states that land allotted in Villages Galand and Pipalhaida falls within the jurisdiction of District Magistrate, Hapur. Hence, a communication has been sent in this regard.*
>
> *11. Counsel for the State is directed to file the further report disclosing the action on the proposed Waste to Energy Plant in the Villages concerned. Let the same be filed within four weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*
>
> *12. List on 03.10.2024."*

2- इस संबंध में प्राप्त श्री भंवर पाल सिंह जादोन, स्थायी अधिवक्ता, उ0प्र0, एन0जी0टी0, नई दिल्ली के ई-मेल पत्र दिनांक 21.09.2024 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के अनुपालन में हापुड जिले के गांवों में प्रस्तावित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कृत कार्यवाही सहित एक और रिपोर्ट दाखिल करने के दिये गये निर्देशों के क्रम में कृत कार्यवाही की प्रगति का विवरण सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 03.10.2024 से 02 सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- अत: श्री भंवर पाल सिंह जादोन, स्थायी अधिवक्ता, उ0प्र0, एन0जी0टी0, नई दिल्ली के

ई-मेल पत्र दिनांक 21.09.2024 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के अनुपालन में समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए रिपोर्ट मा० अधिकरण में दाखिल करने तथा दाखिल की गयी रिपोर्ट की प्रति सहित कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन (Email-soenvups@rediffmail.com) एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Manoj Singh
Date: 26-09-2024 18:19:21

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को श्री भंवर पाल सिंह जादोन के उक्त ई-मेल पत्र दिनांक 21.09.2024 की छायाप्रति संलग्नक सहित उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3- श्री भंवर पाल सिंह जादोन, स्थायी अधिवक्ता, उ०प्र०, एन०जी०टी०, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।

संख्या--NGT-540/81-7-21 कोर्ट केस/तत्काल

781

No. 1622 /MS/WRIT/2024

Gmail computer cell <computercell978@gmail.com>

Fwd: Mail for instructions in the Matter of Jaishree Bansal vs UPPBC (E.A. no. 23/2023)

1 message

CHIEF SECRETARY OFFCE GOVT OF UP <csup@nic.in> Sat, Sep 21, 2024 at 12:17 PM
To: Principal Secretary Environment & Forest GoUP <psforest2015@gmail.com>, "District Magistrate, Ghaziabad" <dmgha@nic.in>, Nagar Nigam Ghaziabad <gzb.nagar.nigam@gmail.com>
Cc: "Computer Cell, Chief Secretary GoUP" <computercell978@gmail.com>

With Regards,

प्रेषक/From:-
मुख्य सचिव कार्यालय/Chief Secretary Office
उत्तर प्रदेश शासन/Government of Uttar Pradesh
लखनऊ/Lucknow -226001.
दूरभाष/Telephone : 0522-2289212 / 2289296

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20

From: bhanwar09jadon@gmail.com
To: "District Magistrate, Ghaziabad" <dmgha@nic.in>, "District Magistrate Hapur" <dmhap@nic.in>, "CHIEF SECRETARY OFFCE GOVT OF UP" <csup@nic.in>
Sent: Friday, September 20, 2024 7:27:35 PM
Subject: Mail for instructions in the Matter of Jaishree Bansal vs UPPBC (E.A. no. 23/2023)

As per the direction from the Tribunal, the Counsel for the State has been instructed to file a further report disclosing the actions taken regarding the proposed Waste to Energy Plant in the villages of district Hapur.

Kindly provide the details of the progress made in this regard, including any steps taken or planned for the implementation of the project. This information is essential for preparing the necessary submissions before the Hon'ble Tribunal.

NOTE: KINDLY PROVIDE THE INSTRUCTION 2 WEEKS BEFORE THE NEXT DATE OF HEARING i.e., 03.10.2024.

Thanks & Regards

Bhanwar Pal Singh Jadon

Standing Counsel of Uttar Pradesh

National Green Tribunal, New Delhi

E.A. 23 of 2023.pdf
160K

3207/VS(2)/24
So-6

(डॉ० ... भूषण)
प्रमुख सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
24

ACS, Environment
Prin. Secy., Urban Dev. / CE

23.09.2024
(रवीन्द्र कुमार)
विशेष सचिव एवं स्टॉफ आफिसर,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

1500/ACS/24
VS(C)

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
23/09/2024

SO DPS
24.09.24

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्याः—एन0जी0टी0—282 / नौ—5—2024— 34रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1—**निदेशक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2—**राज्य मिशन निदेशक,** स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3—**मण्डलायुक्त,** मेरठ।
4—**जिलाधिकारी,** हापुड़।
5—**पुलिस अधीक्षक,** हापुड़।
6—**नगर आयुक्त,** नगर निगम, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग—5 लखनऊः दिनांक 30 सितम्बर, 2024

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या—75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—7, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या—एन0जी0टी0—540 / 81—7—2024 दिनांक 26.09.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या—75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के अनुपालन में समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दाखिल करने तथा दाखिल की गयी रिपोर्ट की प्रति सहित कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email-soenvups@rediffmail.com) एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 03.10.2024 को नियत है।**

2— यह भी अवगत कराना है कि शासन द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या—3798 / नौ—5—2024-Comp. No.1829108 दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से विषयगत प्रकरण में मण्डलायुक्त, मेरठ की अध्यक्षता में जिलाधिकारी, हापुड़, पुलिस अधीक्षक, हापुड़ तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के साथ बैठक आयोजित कर वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अभी तक अप्राप्त है।

3— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—7, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त पत्र दिनांक 26.09.2024 एवं शासन के उक्त पत्र दिनांक 07.08.2024 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार विषयगत प्रकरण में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को **तत्काल** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान / शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
30.09.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2—श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
30.09.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

 ANNEXURE A-4

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्याः—एन0जी0टी0—28 / नौ—5—2025— 34रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1—निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2—राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3—जिलाधिकारी, हापुड़।
4—पुलिस अधीक्षक, हापुड़।
5—नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग—5 **लखनऊः दिनांक 23 जनवरी, 2025**

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या—75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.10.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या—75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.10.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करे। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 29.01.2025 को नियत है।**

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2024 के अनुपालन में विषयगत प्रकरण में श्री भँवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित कर मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई से पूर्व प्रतिशपथपत्र / ए0टी0आर0 दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को **तत्काल** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान / शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
23.01.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
1—श्री भँवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली
2—श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3—श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
23.01.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्याः–एन0जी0टी0– 93 / नौ–5–2025– 34रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3–जिलाधिकारी, हापुड़।
4–पुलिस अधीक्षक, हापुड़।
5–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 12 मार्च, 2025**

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या–75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या–75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करे। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 09.05.2025 को नियत है।**

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान / शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
12.03.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–श्री भँवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली
2–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3–श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
12.03.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

<u>अनुस्मारक / समयबद्ध / महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्याः–एन0जी0टी0–93(1) / नौ–5–2025– 34रिट / 2023</u>

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3–जिलाधिकारी, हापुड़।
4–पुलिस अधीक्षक, हापुड़।
5–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 03 अप्रैल, 2025**

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या–75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–एन0जी0टी0–93 / नौ–5–2025–34रिट / 2023 दिनांक 12.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या–75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अभी तक प्राप्त है। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 09.05.2025 को नियत है।**

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त पत्र दिनांक 12.03.2025 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार विषयगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान / शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,
03.04.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–श्री भँवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली
2–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3–श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
03.04.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

786

द्वितीय अनुस्मारक / समयबद्ध / महत्वपूर्ण
संख्याः–एन0जी0टी0–93(2) / नौ–5–2025– 34रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–**निदेशक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–**राज्य मिशन निदेशक,** स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3–**जिलाधिकारी,** हापुड़ / गाजियाबाद।
4–**पुलिस अधीक्षक,** हापुड़।
5–**नगर आयुक्त,** नगर निगम, गाजियाबाद।
6–**उपाध्यक्ष,** गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 16 अप्रैल, 2025**

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या–75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–एन0जी0टी0–93 / नौ–5–2025–34रिट / 2023 दिनांक 12.03.2025 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या–एन0जी0टी0–93(1) / नौ–5–2025–34रिट / 2023 दिनांक 03.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या–75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अभी तक प्राप्त है। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 09.05.2025 को नियत है।**

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त पत्र दिनांक 12.03.2025 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार विषयगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान / शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,
16.04.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–श्री भँवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली
2–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3–श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
16.04.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

<u>तृतीय अनुस्मारक / समयबद्ध / महत्वपूर्ण</u>
<u>संख्याः—एन0जी0टी0—93(3) / नौ—5—2025— 34रिट / 2023</u>

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1—निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2—राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3—जिलाधिकारी, हापुड़ / गाजियाबाद।
4—पुलिस अधीक्षक, हापुड़।
5—नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
6—उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग—5 **लखनऊः दिनांक 24 अप्रैल, 2025**

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या—75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या—एन0जी0टी0—93 / नौ—5—2025—34रिट / 2023 दिनांक 12.03.2025, अनुस्मारक पत्र संख्या—एन0जी0टी0—93(1) / नौ—5—2025—34रिट / 2023 दिनांक 03.04.2025 एवं द्वितीय अनुस्मारक पत्र संख्या—एन0जी0टी0—93(2) / नौ—5—2025—34रिट / 2023 दिनांक 16.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या—75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अभी तक प्राप्त है। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 09.05.2025 को नियत है।**

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त पत्र दिनांक 12.03.2025 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार विषयगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान / शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,
24.04.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
1—श्री भँवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली
2—श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3—श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
24.04.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

ANNEXURE A-9

कार्यालयः—गाजियाबाद नगर निगम।

पत्रांकः— 1144 /स्वा0/2024—25

दिनांक 10/01/25

कार्यादेश

M/s SHREE JI COAL COMPANY & SWASTIK CARRIERS (JV)
Ghaziabad

कार्य का नाम— Request for Proposal (RFP) of Handling, Processing & Disposal of Municipal Solid waste (MSW) from the jurisdiction of Ghaziabad Nagar Nigam.

उपरोक्त कार्य विषयक नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन में दिनांक 30.11.2024 के द्वारा समाचार पत्रो में विज्ञापन प्रकाशित कराकर दिनांक 02.12.2024 से 11.12.2024 तक निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसमें उक्त कार्य की दिनांक 11.12.2024 को 03 निविदाऐं प्राप्त हुई। जिनकी तकनीकी बिड तद्‌दिनांक को खोली गयी। तकनीकी बिड के परीक्षण उपरान्त आपकी एल—1 निविदा दर अंकन रू0 599/— प्रतिटन समस्त कर सहित की प्राप्त हुई। उक्त प्राप्त दरों पर नेगोसिएशन हेतु आपको इस कार्यालय के पत्र संख्याः 1094/स्वा0/2023—24 दिनांक 01.01.2025 निर्गत किया गया। जिसके कम में आप द्वारा पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्राप्त दरों में अंकन रू0 44/— कम करते हुये अंकन रू0 555/— प्रतिटन समस्त कर सहित पर कार्य किये जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः आप अधिकतम 45 दिन के अन्दर आर.एफ.पी. में उल्लेखित शर्तों को पूर्ण कराते हुए जैसे पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण—पत्र, बाउंड्रीवाल आदि पूर्ण कराते हुए विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे की अग्रिम कार्यवाही की जा सके तथा अंकन रू0 01.00 करोड़ की एफ0डी0आर0 लेखाधिकारी गाजियाबाद नगर निगम के नाम बंधक जमा कराते हुये निर्धारित मानक स्टाम्प पेपर पर आर0एफ0पी0 में उल्लेखित शर्तो के अनुसार अनुबन्ध की कार्यवाहीं निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
गाजियाबाद नगर निगम

प्रतिलिपि—
1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर नगर आयुक्त/वरि0प्र0स्वा0 महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जोनल सेनेटरी ऑफिसर/मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु।
4. लिपिक, एस0डब्लू0एम0/एस0बी0एम0 को आ0का0हेतु।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
गाजियाबाद नगर निगम

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाषः 0120-2790425, 2713580 ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 75 /न0आ0/2025-26 दिनांकः 02/5/25

प्रेषक,

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

सेवा में,

संयुक्त सचिव
नगर विकास अनुभाग–5
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No. 23/2023 In O.A. No. 75/2023 (IA No-645/2023) Jaishree Bansal. Vs State of Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांकःएन0जी0टी0–93(3)/नौ–5–2025–34 रिट/2023 दिनांक 24 अप्रैल, 2025 तथा निदेशक/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा निर्गत ई–मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र संख्या–पी0एम0यू0/017/429(14)/2023 लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें शासन के पत्र संख्याः एन0 जी0 टी0–93/नौ–5–2025–34रिट/2023 दिनांक 03 अप्रैल, 2025 का उल्लेख करते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No. 23/2023 In O.A. No. 75/2023 (IA No-645/2023) Jaishree Bansal. Vs State of Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाहीं सुनिश्चित कराते हुए कृत–कार्यवाहीं की आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 09.05.2025 को नियत है।

उपरोक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि ग्राम गालन्द में वर्ष 2018–19 में 44.25 एकड़ भूमि पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किये जाने हेतु चिन्हित की गयी थी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु नीदरलैण्ड के जी0सी0 इण्टर नैशनल कम्पनी से इस सम्बन्ध में अनुबन्ध भी निष्पादित किया गया था। किन्तु अभी तक अनेको प्रयासो के पश्चात भी उक्त भूमि पर जन–विरोध के कारण प्लांट स्थापित नहीं किया जा सका है। जिसके परिणाम स्वरूप नगर निगम गाजियाबाद के पास ठोस अपशिष्ट के प्रोसेसिंग हेतु कोई भी Designated भूमि उपलब्ध नहीं है तथा विगत कई वर्षो से निजी फर्म द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर ही नगर निगम सीमान्तर्गत से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रोसेसिंग का कार्य किया जा रहा है। Designated भूमि न होने के कारण जहां एक ओर नगर निगम को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण में कठिनाई का सामना करना पड रहा है वहीं दूसरी ओर मा0 एन0जी0टी0 में ग्रामवासियों द्वारा वाद भी दायर किया गया है। गालन्द में उपलब्ध 44.25 एकड़ भूमि पर कब्जा प्राप्त करने एवं उक्त भूमि पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने हेतु कई बार ग्रामीणो के साथ बैठकर संवाद स्थापित किया गया तथा उक्त प्लांट के सम्बन्ध में जो ग्रामवासियों की भ्रांतियां थी, उनका भी अर्थ पूर्ण समाधान देने का प्रयास किया गया। दिनांक 26.04.2023 को तत्कालींन नगर आयुक्त द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत अधिकारी, असौडा, हापुड में ग्रामवासियों के साथ संयुक्त बैठक करके संवाद स्थापित किया गया।

नगर निगम के निर्माण विभाग द्वारा उक्त भूमि पर कई बार कब्जा प्राप्त करने हेतु बाउण्ड्रीवॉल बनाने का प्रयास किया गया किन्तु ग्रामवासियों के द्वारा विरोध करके उक्त बाउण्ड्रीवॉल को भी ध्वस्त कर दिया गया। उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु एवं बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु कई बार उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित किये गये जिससे कि वहां पर पुलिस बल उपलब्ध हो सके। किन्तु आज तक भी पुलिस बल की उपलब्धता नहीं हो पायी है, जिस कारण प्लांट की स्थापना करने एवं तत्क्रम में अग्रिम कार्यवाहीं किये जाने हेतु कार्यवाहीं लम्बित है। क्योकि उक्त भूमि ग्राम गालन्द जिला हापुड में स्थित है। अतः जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं हापुड़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी उक्त विषय में कई बार अवगत कराया गया है।

यहां यह भी अवगत कराना समीचीन होगा दिनांक 25.11.2023 को पत्रांक सं0: 1808/न0आ0/2024 के माध्यम से जिलाधिकारी गाजियाबाद को ग्राम गालन्द में स्थित भूमि के कब्जा प्राप्त न होने के कारण गाजियाबाद जनपद में ही ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांकः स0 3451/एस0टी0-डी0 एम0/2023 दिनांक 02.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि यदि भूमि का विनिमय किया जाना सम्भव नहीं है तो 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राथमिक तौर पर लगभग रू0 200.00 करोड की आवश्यकता होगी। नगर आयुक्त कार्यालय से निर्गत पत्रांकः 2128/न0आ0/2023-24 दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से प्रमुख सचिव महोदय नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु लगभग रू0 200 करोड की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया था।

वर्तमान में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उक्त के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाहीं निम्नानुसार हैः-

1. उक्त भूमि पर **बफर जोन** बनाये जाने हेतु उद्यान विभाग नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रश्नगत भूमि के बाहरी परिधि में किनारे-किनारे पौधा-रोपण का कार्य कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अभी तक 17 हजार पौधे लगाकर फेन्सिंग की जा चुकी है तथा शेष पौधा-रोपण का कार्य प्रगति पर है।
2. निर्माण विभाग द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य की निविदा दिनांक 26.11.2024 को आमंत्रित करते हुये दिनांक 25.01.2025 को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है तथा स्थल पर पुलिस बल उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने का उल्लेख किया गया है।
3. वर्तमान अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27.04.2025 को उपाध्यक्ष, जीडीए को पत्र सम्बोधित करते हुये ग्राम गालन्द में ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिऐ उपलब्ध 44.25 एकड भूमि के आस-पास अवैध निर्माण होने से बफर जोन मैंटेन रखने में समस्या उत्पन्न होने का उल्लेख करते हुये अवैध निर्माण की जांच कराकर अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया गया जिससे कि प्रश्नगत स्थल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जा सके।
4. दिनांक 06 अगस्त 2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्रामवासियों के साथ संवाद स्थापित किया गया तथा ग्रामवासियों को दिल्ली, इन्दौर एवं अन्य राज्यों में संचालित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के भ्रमण करने हेतु भी प्रेरित किया गया, किन्तु उक्त में ग्रामवासियों से कोई भी सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तत्कालींन मण्डलायुक्त महोदया की अध्यक्षता में भी हापुड जिला प्रशासन एवं ग्रामवासियों के साथ नगर आयुक्त द्वारा संवाद स्थापित करने हेतु बैठक आहूत की गयी थी किन्तु समस्या का स्थायी रूप से समाधान न होने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उ.प्र0 सरकार को कार्ययोजना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत हैः-

बिन्दु सं0–6. Hence, we direct the State of U.P. to do the needful within 4 weeks and file the action taken report, particularly disclosing (i) the utility of the present jagjeevanpur site after merging and the extent of waste being received for processing and its adequacy and (ii) prospective plan/proposal contemplated waste to energy plant.

(I) जगजीवनपुर साईट–1 पर एकत्रित लिगेसी वेस्ट (मात्रा 2.60 लाख एमटी) का निस्तारण सम्बन्धित फर्म द्वारा जून/जुलाई 2024 में कर लिया गया, किन्तु नगर निगम गाजियाबाद सीमान्तर्गत उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट लगभग 1600–1700 टीपीडी के एकत्रीकरण एवं विंड्रोज विधि द्वारा प्रोसेसिंग हेतु अन्यत्र स्थल न होने के कारण से लिगेसी वेस्ट के प्रोसेसिंग उपरान्त रिक्त हुई भूमि (साइट–1) को फ्रैश वेस्ट के एकत्रीकरण/विंड्रोज विधि से प्रोसेसिंग हेतु जगजीवनपुर साइट–2 का विलेय कर दिया गया है। जिसका परीक्षणोपरान्त उल्लेख केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.08.2024 में भी किया गया है।

(II) नगर निगम गाजियाबाद द्वारा ई–निविदा के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग हेतु नई फर्म का चयन कर दिनांक 10 जनवरी 2025 को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। उक्त प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता 900 टीपीडी है। चयनित फर्म के स्कॉप Scope of Work में ही भूमि उपलब्ध कराने का भी दायित्व सम्मिलित किया गया है। उक्त फर्म द्वारा क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिनांक 05.04.2025 को CTE प्राप्त कर लिया गया है तथा प्रोसेसिंग प्लांट हेतु आवश्यक मशीनरी की स्थापना का कार्य कर दिया गया है।

(III) गाजियाबाद सीमान्तर्गत उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट के सफलतापूर्वक निस्तारण हेतु अल्पावधि कार्ययोजना के दृष्टिगत ग्राम ढबारसी में 900 टी0पी0डी0 के क्षमता का प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जा चुकी है तथा प्रोसेसिंग उपरान्त उत्पादित इनर्ट वेस्ट हेतु ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ग्राम अस्तौली में स्थित एस0एल0एफ0 के उपयोग हेतु द्विपक्षीय अनुबन्ध भी निष्पादित किया गया है।

प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु दीर्घकालिक अवधि में यह अति–आवश्यक है कि गाजियाबाद नगर निगम को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पूर्व में चयनित Designated साइट ग्राम गालन्द जिला हापुड के 44.25 एकड भूमि का कब्जा अतिशीघ्र प्राप्त कराकर उक्त साइट पर आधुनिक टैक्नोलॉजी की वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना की जायेगी या उक्त Designated साइट पर कब्जा न मिलने की दशा में गाजियाबाद जनपद में अन्यत्र स्थान पर 45 एकड भूमि अतिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय

02/05/25

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
I.A.S.
नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः–1.जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
I.A.S.
नगर आयुक्त

तृतीय अनुस्मारक / समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्याः–एन0जी0टी0–93(3) / नौ–5–2025– 34रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3–जिलाधिकारी, हापुड़ / गाजियाबाद।
4–पुलिस अधीक्षक, हापुड़।
5–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
6–उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 24 अप्रैल, 2025

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या–75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–एन0जी0टी0–93 / नौ–5–2025–34रिट / 2023 दिनांक 12.03.2025, अनुस्मारक पत्र संख्या–एन0जी0टी0–93(1) / नौ–5–2025–34रिट / 2023 दिनांक 03.04.2025 एवं द्वितीय अनुस्मारक पत्र संख्या–एन0जी0टी0–93(2) / नौ–5–2025–34रिट / 2023 दिनांक 16.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या–75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अभी तक प्राप्त है। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 09.05.2025 को नियत है।**

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त पत्र दिनांक 12.03.2025 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार विषयगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान / शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,
24.04.2025

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–श्री भँवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली
2–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3–श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
24.04.2025

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

CamScanner

1057
04-12-23

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

संख्या– 3451 /एस0टी0–डी0एम0/2023 दिनांक–2 दिसम्बर, 2023

नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम,
गाजियाबाद

विषय :– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र संख्या–1808/न0आ0/2023–24दिनांक 25–11–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें नगर निगम गाजियाबाद द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में आप अवगत ही है कि पूर्व में तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के समन्वित प्रयास से ही ग्रम गालंद जनपद हापुड़ में 42.25 एकड़ भूमि इस कार्य हेतु उपलब्ध हुई थी । इसमें से 14.98 एकड़ भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा क्रय करके तथा 18.12 एकड़ भूमि दान विलेख के माध्यम से नगर निगम गाजियाबाद को उपलब्ध करायी गयी थी। इस भूमि के सम्बन्ध में ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किये जाने हेतु मैसर्स जी0सी0इन्टरनेशनल कम्पनी के साथ शासन स्तर पर हुए एम0ओ0यू0 को दृष्टिगत रखते हुए सम्भवतः नगर निगम द्वारा लीज डीड का भी निष्पादन किंया जा चुका है।

जनपद गाजियाबाद की सीमा में भूमि की दरें अत्यधिक होने के कारण निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना पूर्णतः नगण्य है । अतः उपयुक्त होगा कि यदि जन विरोध के कारण उक्त स्थल पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना कराये जाने में कठिनाई है तो इस भूमि से विनिमय करते हुए भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रयास किया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गाजियाबाद से समन्वय स्थापित करके इस भूमि के बदले भूमि विनिमय के आधार पर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा सकती है और यदि भूमि का विनिमय किया जाना सम्भव नहीं है तो 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राथमिक तौर पर लगभग 200 करोड़ रूपये (दो सौ करोड़) की आवश्यकता होगी।

जहाँ तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट हेतु भूमि चिन्हित किये जाने का प्रश्न है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की किया सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत आती है तथा मास्टर प्लान में सामुदायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त भूमि चिन्हित की गयी है। ऐसी भूमि का क्रय सीधे किसानो से वार्ता करके किया जा सकता है।

कृपया इस प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार विकल्पों पर नगर निगम गाजियाबाद का मत स्थिर कराते हुए अवगत कराने का कष्ट करें ताकि इस प्रकरण में प्राथमिकता पर कार्यवाही करायी जा सकें।

SWM clerk
Keep in concerned file

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी गाजियाबाद/
उपाध्यक्ष,गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

प्रतिलिपि :–

1– सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,गाजियाबाद।

2– अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) गाजियाबाद को नगर निगम गाजियाबाद से समन्वय स्थापित करने हेतु प्रेषित।

1006

जिलाधिकारी गाजियाबाद/
उपाध्यक्ष,गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाषः 0120-2790425, 2713580
ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 2128 /न0आ0/2023-24 दिनांकः 28/02/24

प्रेषकः

नगर आयुक्त,
नगर निगम गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः गाजियाबाद नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत उत्सर्जित होने वाले 1400-1500 एमटी ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है जिसका मुख्य कारण भूमि की अनुपलब्धता है। भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र सं0 1808/न0आ0/2023-24 दिनांक 25.11.2023 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 11 के उप नियम एवं नगर विकास अनुभाग-5 के द्वारा दिनांक 29 जून 2018 के शासनादेश संख्याः 2221/नौ-5-18-352सा/2016 में उल्लेखित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन निति का प्रख्यापन के अनुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 3451/एस0टी0-डी0एम0/2023 दिनांक 02.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि यदि भूमि का विनिमय किया जाना संभव नहीं है तो 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राथमिक तौर पर लगभग 200 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0 सं0 75/2023 जयश्री बंसल बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 19.01.2024 को सुनवाई करते हुए 6-7 माह का समय भूमि की उपलब्धता हेतु प्रदान किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि गाजियाबाद शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु एवं इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में चल रहे वादों के निस्तारण के दृष्टिगत भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु लगभग 200 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

o/c (विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION
दूरभाषः 0120-2790425, 2713580 ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 55 न0आ0/2025 दिनांकः 27/04/2025

प्रेषक

नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम,

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः ग्राम गालन्द में गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र सहित जनपद की अन्य नगरीय निकाय क्षेत्र में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना हेतु अवैध निर्माण हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ग्राम गालन्द में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग, उत्तर प्रदेश एवं नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम तथा फर्म मैसर्स जी.सी. इन्टरनेशनल के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किया गया है। मैसर्स जी0सी0 इन्टरनेशनल द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु ग्राम-गालन्द में उपलब्ध 44.25 एकड भूमि पर स्थापना की जानी प्रस्तावित है जिस हेतु वर्तमान में उक्त भूमि पर बफर जोन बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा प्रश्नगत भूमि के बाहरी परिधि में किनारे-किनारे वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है तथा लगभग 17 हजार पौधे लगाकर फेंसिंग की जा चुकी है। किन्तु संज्ञान में आया है कि प्रश्नगत स्थल के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे यहां ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः उपरोक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि ग्राम-गालन्द में ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिए उपलब्ध 44.25 एकड भूमि के आस-पास अवैध निर्माण किया जा रहा है जिससे बफर जोन मैंटेन रखने में समस्या उत्पन्न हो रही हे इसलिए अवैध निर्माण की जांच कराकर अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि प्रश्नगत स्थल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जा सके।

भवदीय

27/4/25

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः 1.जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, हापुड़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No. 23/2023
In
Original Application No. 75/2023

In the matter of:

Jaishree Bansal   Applicant

Vs.

Uttar Pradesh Pollution Control Board   Respondent

Index

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	**Committee Report** on behalf of Central Pollution Control Board (CPCB) in compliance to Hon'ble NGT order dated 05.07.2024 in EA No. 23/2023 in O.A No. 75/2023.	
2.	**Annexure- I** A copy of Hon'ble NGT order dated 05.07.2024.	
3.	**Annexure- II** A copy of letter dated 16.08.2024 issued by CPCB to UPPCB & Municipal Corporation Ghaziabad.	
4.	**Annexure- III** A copy of Physical Characterization Reports of treated and untreated waste.	
5.	**Annexure- IV** A copy of Ground water quality monitored by UPPCB during 2024 at Sahibabad under NWMP.	

Filed by Adv. Rajkumar
(on behalf of Central Pollution Control Board)

Place: Delhi
Dated: 01.10.2024

COMMITTEE REPORT

(IN COMPLIANCE TO HON'BLE NGT ORDER DATED 05.07.2024

IN

E.A. NO. 23/2023 (OA NO. 75/2023),

JAISHREE BANSAL VS. UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD)

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

(*Ministry of Environment, Forest & Climate Change*)

"Parivesh Bhawan", East Arjun Nagar,

Delhi-110032

CONTENTS

S.N.	Description	Page No.
1.0.	Background	
2.0	Action taken by CPCB	
2.1	Constitution of the Committee	
2.2	Task assigned to the Committee	
2.2.1	The extent of treated/untreated waste lying at the site	
2.2.1 (a)	Topographic Contour Survey at the site	
2.2.2	Waste Spillage into the applicant's land	
2.2.3	Leachate flowing onto applicants' land	
2.2.3(a)	Ground water sample taken from the premise of the applicant	
3.0	Conclusions	
4.0	List of Annexures	
	Annexure I - Hon'ble NGT order dated 5.07.2024	
	Annexure II- CPCB letter dated 16.08.2024 to UPPCB	
	Annexure III- Physical Characterization reports of treated and untreated waste	
	Annexure-IV- Ground water quality data at Sahibabad under NWMP	

1.0 BACKGROUND

Hon'ble NGT vide order dated 5.07.2024 in the matter Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Control Board.) issued the following Directions:

Para 9*: "The Tribunal normally proceeds on the basis of such statement made by an authority like Municipal Commissioner, but since it has been disputed and no cogent supporting material has been produced, therefore, the truthfulness of such a statement is required to be verified. Hence, we constitute a committee comprising of the representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), not below the rank of Director and a representative of Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Delhi not below the rank of Director.* ***The representative of CPCB will act as coordinator in the Committee****. The Committee will visit the site as early as possible but not later than ten days from today and will ascertain the correct position at Jagjeevanpur Site –I & II, the extent of treated/untreated waste lying there and will ascertain if leachate is flowing to the land of the Applicant or the waste is spilling over that land. The Committee will submit its report within four weeks…"*

A copy of Hon'ble NGT order is attached as **Annexure I.**

2.0 ACTION TAKEN BY CPCB

2.1 Constitution of Committee

The Committee comprising of officials from MoEFCC & CPCB as per details given below, was constituted as per Hon'ble NGT Directions:

1	Dr**.** Satyendra Kumar, Director, HSMD, MoEF&CC
2	Ms. Divya Sinha, Director & Divisional Head, UPC-II, CPCB

2.2 Task assigned to the Committee

Hon'ble NGT in its Order dated July 05, 2024 has directed the Committee to visit the Jagjeevanpur site to ascertain the following points:

i. The extent of treated/untreated waste lying at the site

ii. If the waste is spilling over the land.

iii. If leachate is flowing to the land of the Applicant.

CPCB vide letter dated 16.08.02024 (**Annexure-II**) requested Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) & the Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad (MCG) for deputing concerned officials to facilitate the Committee for site visit on 20.08.2024. Subsequently, site was visited by the Committee along with UPPCB & Municipal Corporation, Ghaziabad officials on 20.08. 2024. Monitoring & sample analysis were conducted on September 04, 2024 through UPPCB in presence of CPCB officials.

Photographs taken during the visit is provided below. The observations during the visit are outlined in the following Sections:

Figure 1: Visit by the committee at Jagjivanpur/Bhikanpur Site.

2.2.1 The extent of waste (treated/untreated) lying at the Site

As per information provided by the Municipal Corporation of Ghaziabad, the Site I and Site II have been merged into a single site, now referred to as Site II. The Jagjeevanpur site II, currently receives approximately 1600-1700 tons per day (TPD) of fresh waste from across Ghaziabad.

(a) Topographic Contour Survey at the site

A topographical contour survey of Jagjeevanpur site II, was conducted on September 04, 2024 to determine the area and quantity of treated and untreated waste present at the site. As per contour survey, Jagjeevanpur site II covers an area of approximately 29,675 m^2. As per the Contour Survey report, volume & quantity of treated/untreated waste lying at the site is given in Table 1 & 2 below:

Table 1: Contour survey results

Items	Value
Location of site	(Lat. 28.667, Long. 77.449)
Total land area of the site	29,675.239 sqm.
Area of land occupied with untreated waste	27184 sq. m
Volume of untreated waste at site	4,40,846 cum
Area of land occupied with treated waste	2491 sqm.
Volume of treated waste at site (RDF)	40,396 cum

Table 2: Quantity of treated/untreated MSW stored at the site

Type of Waste	Volume (cum)	Density (g/cc)*	Quantity (Metric Tonnes)
Untreated waste at site	4,40,846	0.75	3,30,635
Treated waste at site (RDF)	40,396	0.20	8,079

**Quantity of waste has been calculated by considering density of untreated & treated waste as 0.75 g/cc & 0.20 g/cc respectively.*

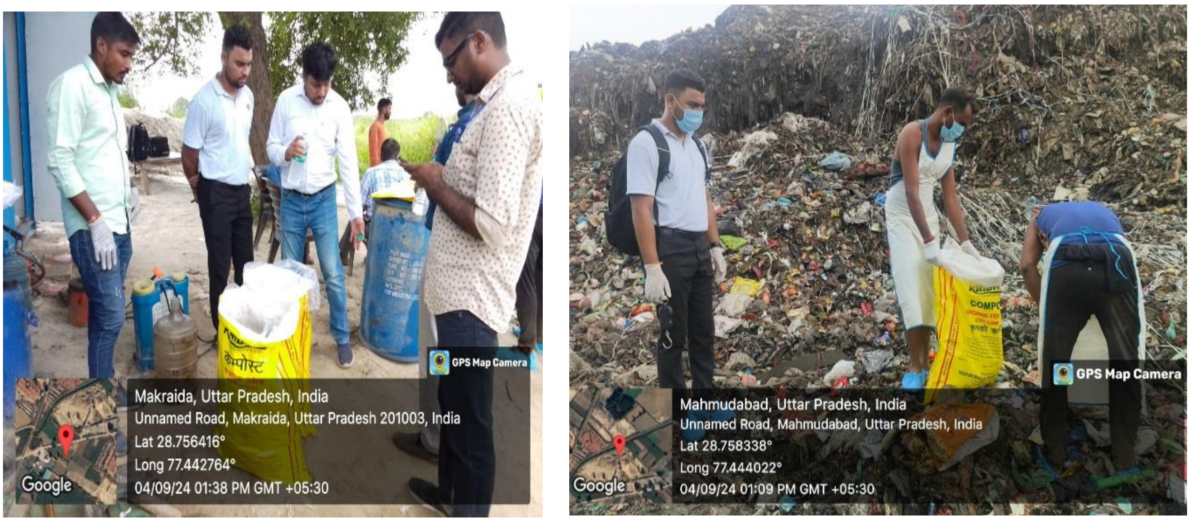

Figure 2: Grab Sample collection of Treated & Untreated Waste at the site

Figure 3: Contour survey at the site using Differential GPS method

Grab Samples of treated (RDF) and untreated waste were collected while making the assessment of the quantity of treated/untreated waste from the Jagjeevanpur site II. According to the physical characterization reports **(Annexure-III)** for both treated (RDF) and untreated waste at the site, the details of the major components are provided below in Table 3:

Table 3: Composition of treated & untreated waste

Components	Treated waste (RDF) (%)	Untreated waste (%)
Organic	0	61
Combustibles	91	32
Recyclables	2	3
Inerts	7	4

Figure 4. Processing of solid waste using one Supersonic & four trommel machines at the Site.

2.2.2 If the waste is spilling over the land

No waste spillage into the premises of applicant observed during the visit. The stored untreated waste is located approximately 8-12 feet from the boundary wall of applicant's premise. The average height of stored waste near the boundary wall of applicant is approx.16 Meters.

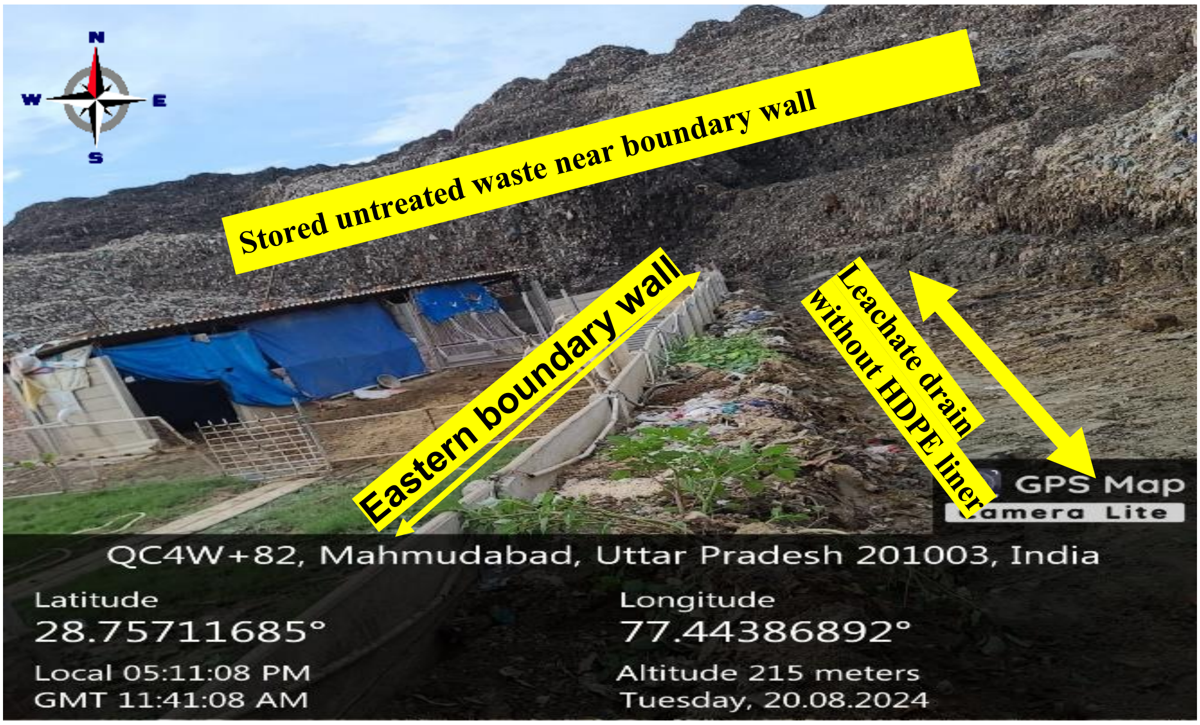

Figure 5: Waste stored is approx. 8-12 feet distance from applicant's boundary wall

2.2.3 If leachate is flowing to the land of the applicant

A temporary leachate collection drain has been provided on one side of the wall, and a soil bund has been constructed near the other side of the boundary wall. No leachate flowing into the premises of applicant observed during the visit.

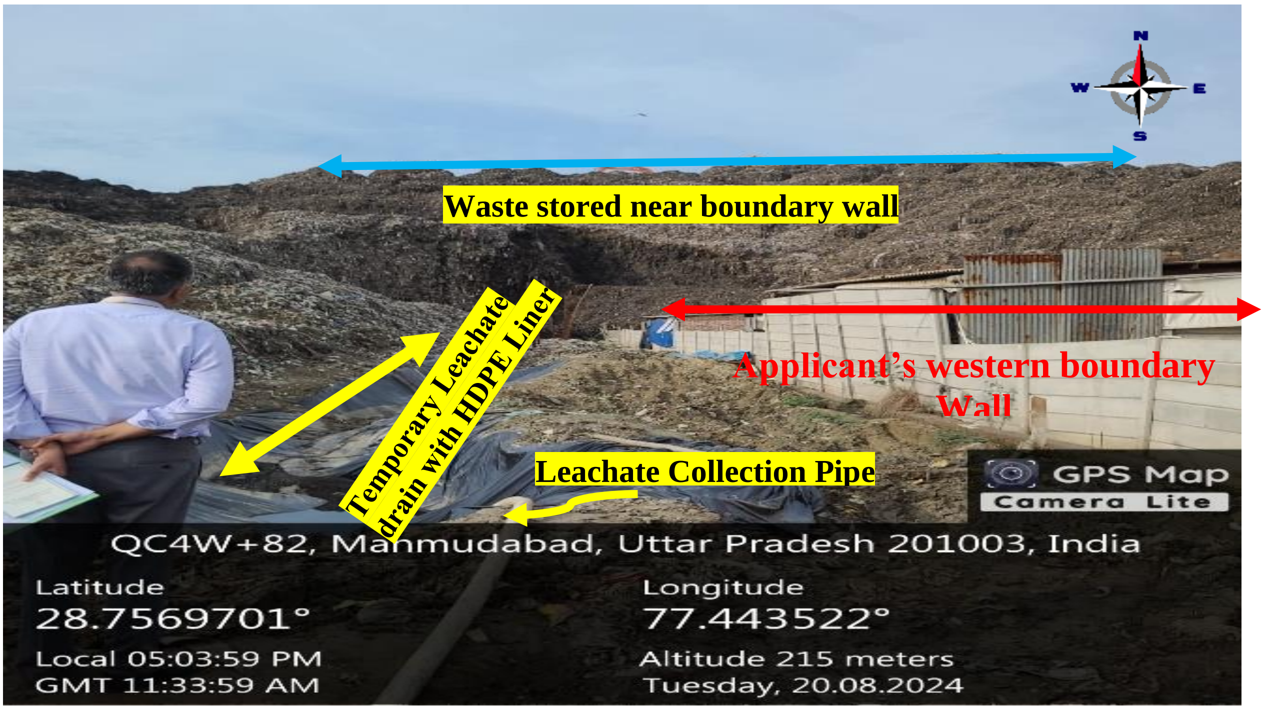

Figure 6: Temporary leachate drain along applicant's western wall.

(a) Ground water sample taken from the premise of the applicant

The groundwater quality results of sample analyzed from applicant's premise, Jagjivanpur, Ghaziabad on September 04, 2024) & at reference location namely Sahibabad industrial area, Ghaziabad is provided in table 4 below:

Table 4: Ground water quality results at applicant's premise & reference location at Ghaziabad

S.No.	Name of test Parameters	Unit	B.I.S. Specification for drinking water(10500:2012) (Acceptable & permissible limit)	Result at the applicant's premise (Jagjivanpur Site)	Reference location result (Sahibabad Industrial area, Ghaziabad- CPCB NWMP data)
1	**pH at 25 °C**	-	6.5-8.5	6.88	7
2	**Turbidity**	NTU	1	0	1
3	**Colour**	Hazen	5 to 15	Colourless *	Clear*
5	**Total Dissolved Solids**	mg/L	500-2000	510	2070
6	**Total Hardness**	mg/L	200-600	422	850
7	**Ca Hardness**	mg/L	75-200	124	588
8	**Mg Hardness**	mg/L	30-100	26.4	262
9	**Iron (Fe)**	mg/L	0.3	0.58	2.3
10	**Total Cr**	mg/L	0.05	ND	1.2
11	**Cr+6**	mg/L	0.05	ND	NA
12	**Lead**	mg/L	0.01	ND	0.00031
13	**Copper**	mg/L	0.05-1.5	ND	0.00035
14	**Zinc**	mg/L	5 to 15	ND	0.00059
15	**Nickel**	mg/L	0.02	ND	0.00054

**Colour by Visual comparison method*

- The total dissolved solids (TDS) is found to be 510 mg/L, which slightly exceeds the acceptable limit of 500 mg/L but is within the permissible limit of 2000 mg/L specified by BIS:10500, 2012, Drinking Water Standards.
- The organoleptic and physical parameters such as pH, turbidity, and color, are within the acceptable limits. Furthermore, concentration levels of toxic heavy

metals such as Chromium, Lead and Nickel are also found to be within the acceptable limits set by BIS.

- The iron concentration as Fe was found to be 0.58 mg/L, exceeding the BIS standard (0.3 mg/L, Acceptable limit). The exceeding concentration of Iron can impart a bad taste to the water, can cause discoloration in clothes and incrustations in water pipelines.
- Remaining parameters are within the permissible limit.
- Further, it may e be noted that according to CPCB National Water Quality Monitoring Program (NWMP) data (**Annexure-IV**) of ground water quality monitored by UPPCB during 2024 at Sahibabad Industrial area, Ghaziabad, the TDS & Iron concentration are found to be 2070 mg/L & 2.3 mg/L respectively.
- It is observed that concentration of TDS & Iron at reference location is higher than concentration found at applicant's premise.

Figure 7: Ground water sample collection from submersible pump on applicant's premise

3.0 Conclusions

(a) A total of 3,30,635 MT of Untreated waste (having > 60 % Biodegradable fraction) and 8,079 MT of treated waste (> 90% Combustible fraction) was found stored at the site.

(b) No waste spilling into the premises of applicant was observed during the visit.

(c) No leachate flowing into the premises of applicant was observed during the visit.

Signatures of the Committee Members

S.No,	Name & Designation of Committee Members	Signature
1	Dr. Satyendra Kumar (Director, HSMD, MoEF&CC)	Satyendra
2	Ms. Divya Sinha (Director & Divisional Head, UPC-II, CPCB)	Divya Sinha

****

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA

File No.: CM-13011/169/2024-LAW-HO-CPCB-HO **16/08/2024**

To,

1. **The Member Secretary**
   Uttar Pradesh Pollution Control Board
   Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
   Lucknow - 226010, Uttar Pradesh
2. **The Municipal Commissioner**
   Municipal Corporation Ghaziabad
   Navyug Market, Opp. Old Bus Stand,
   Ghaziabad - 201001, Uttar Pradesh

Subject: Hon'ble NGT order dated 05.07.2024 in Execution Application No 23/2023 in Original Application No 75/2023 (I.A No 645/2023), Jaishree Bansal Verses Uttar Pradesh Pollution Control Board – reg.

Sir,

This has reference to the directions dated 05.07.2024 issued by Hon'ble NGT in E A No 23/2023 in O A No 75/2023 **(Annexure I)** . Relevant part of Para 9 of the order is represented as under:

"Hence we constitute a Committee comprising of the representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB) not below the rank of Director and a representative of Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&Cc) , Delhi not below the rank of Director . The representative of CPCB will act as coordinator in the committee. The committee will visit the site as early as possible but not later than ten days from today and will ascertain the correct position at Jagjiwanpur Site - I and II , the extent of treated /untreated waste lying there and will ascertain if leachate is flowing to the land of the Applicant or the waste is spilling over the land . The committee will submit its report within four weeks ".

In this regard, it is to inform that nominated representatives of CPCB (Mrs Divya Sinha, Director & Divisional Head, UPC-II) & MoEF&CC (Dr Satyendra Kumar , Director, HSMD), as committee members shall be visiting the site on 20.8.2024 at 2.30 PM onwards. It is therefore requested to kindly depute the concerned official to facilitate the committee for site inspection in the aforementioned matter please.

The information available with CPCB w.r.t Solid Waste Management at Jagjiwanpur site I and II is enclosed **(Annexure II)** . It is also requested to provide the updated information by 16/8/2024 at 6.00 PM .

Yours faithfully

Suniti

(Suniti Parashar)
Scientist 'C' , UPC-II

Encl : As above

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, New Delhi - 110032
दूरभाष/Tel: 43102030, 22305792, वेबसाईट/Website : www.cpbc.nic.in

Copy to:

1. Dr. Satyendra Kumar: **For kind information, please.**
   Director, Hazardous Substance Management Division,
   Ministry of Environment & Forests & Climate Change
   2nd Floor, Jal Wing,
   Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003
2. The Regional Officer, Ghaziabad: **For information and to facilitate the site visit, please.**
   Uttar Pradesh Pollution Control Board
   2 I.N.S. Sector-16, Vasundhara, Post- Prahalad Garhi, Ghaziabad
3. DH, Law Section: **For information, please.**
4. PS to MS: **For kind information to 'MS', please.**

Suniti

(Suniti Parashar)

O/C

PLPL PHOTRON LABORATORIES PVT. LTD.
(ISO 9001-2015, 14001-2015, ISO 45001 : 2018 Certified Laboratory)
Plot No. G-19, Kh. No. 76/7 & 76/14, Laxmi Park Nangloi, West Delhi-110041
E-mail : photron.labs@gmail.com | vermashivendra70@gmail.com | cm.tripathi35@gmail.com
M : 8851624436, 9312566193, 9818282411

Annexure - III

Test Report

Issued To :	M/s U P Pollution Control Board Vasundhara, Ghaziabad, Dist- Ghaziabad (UP).	Report No.	: RDF-11092024--002
		Date Of Sample Issue	: 04.09.2024
		Test Started on	: 04.09.2024
		Test Completed on	: 11.09.2024
Nature of the Sample:	RDF	Date of Issues Report	: 11.09.2024
Sample ID	PLPL/LAB/040924-002		

Date of Sampling : 04.09.2024
Sampling Location : MSW Processing Plant, Jagjivanpur Site,Pipeline Road, Ghaziabad.

Total Wt.(Kg) : 20.98 (RDF)

RDF PHYSICAL CHARACTERIZATION REPORTS

S NO.	Components	Weight of Component (kg)	Percentage of component (%)
1.	Kitchen waste	0	0
2.	Vegetables Chhilka / Maiz Chhilka	0	0
3.	Fruits Chhilka	0	0
4.	Dry Sugar Canes	0	0
5.	Coconut shell/hair	0.83	3.96
6.	Straw/Hey	0	0
7.	Flowers	0	0
8.	Green leaves/Green Matter	0	0
9.	Dry leaves/Dry Matter	0.23	1.1
10.	Wooden Pieces	0.84	4.0
11.	Broom	0	0
12.	Cardboard (wooden)	0	0
13.	Paper/Cardboard	0	0
14.	Textile/cotton/Jute	5.24	24.97
15.	Polythene / Plastic	10.22	48.71
16.	Rubber/ Leather/ Tyre	1.70	8.10
17.	PVC	0	0
18.	Thermocol	0	0
19.	Metals	0.21	1.0
20.	Glass	0.23	1.1
Inert and other			
21.	Sand/soil/earth	0.85	4.05
22.	Small Stones	0.63	3.0
23.	Ceramic and other	0	0
24.	Human Hair	0	0
25.	Batteries	0	0
26.	Hazardous waste (if any)	0	0
27.	Total	20.98kg	100%

Checked By:

Report End

Authorized Signatory:

PHOTRON LABORATORIES PVT. LTD. AUTHORISED SIGNATORY

Note:-
. The result given above are related to the tested sample ,for various parameter as observed at the time of sampling.
. The customer asked for the above tests only.
. This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
. This test samples will be disposed off after one months from the date of issue of test report ,unless until specified by the customer.
. The Report can not be used as evidence in a court of a law without the written approval of the lab.

PHOTRON LABORATORIES PVT. LTD.
(ISO 9001-2015, 14001-2015, ISO 45001 : 2018 Certified Laboratory)
Plot No. G-19, Kh. No. 76/7 & 76/14, Laxmi Park Nangloi, West Delhi-110041
E-mail : photron.labs@gmail.com | vermashivendra70@gmail.com | cm.tripathi35@gmail.com
M : 8851624436, 9312566193, 9818282411

Test Report

Issued To :	M/s U P Pollution Control Board Vasundhara, Ghaziabad, Dist- Ghaziabad (UP).	Report No.	: MSW-11092024--001
		Date Of Sample Issue	: 04.09.2024
		Test Started on	: 04.09.2024
		Test Completed on	: 11.09.2024
Nature of the Sample:	MSW Physical Segregation	Date of Issues Report	: 11.09.2024
Sample ID	PLPL/LAB/04.09.2024		

Date of Sampling : 04.09.2024
Sampling Location : MSW Processing Plant, Jagjivanpur Site, Pipeline Road, Ghaziabad.
Weather : Clear
Total Wt.(Kg) : 20.67 (Fresh Waste)

MSW PHYSICAL CHARACTERIZATION REPORTS

S NO.	Components	Weight of Component (kg)	Percentage of component (%)
1.	Kitchen waste	0.51	2.46
2.	Vegetables Chhilka / Maiz Chhilka	8.90	43.06
3.	Fruits Chhilka	1.76	8.51
4.	Dry Sugar Canes	0	0
5.	Coconut shell/hair	1.38	6.68
6.	Straw/Hey	0	0
7.	Flowers	0.23	1.11
8.	Green leaves/Green Matter	1.22	5.90
9.	Dry leaves/Dry Matter	0.86	4.16
10.	Wooden Pieces	0.81	3.92
11.	Broom	0	0
12.	Cardboard (wooden)	0	0
13.	Paper/Cardboard	0.82	3.97
14.	Textile/cotton/Jute	0.26	1.25
15.	Polythene / Plastic	2.33	11.27
16.	Rubber/ Leather/ Tyre	0.16	0.77
17.	PVC	0	0
18.	Thermocol	0.06	0.29
19.	Metals	0	0
20.	Glass	0.51	2.46
Inert and other			
21.	Sand/soil/earth	0.34	1.64
22.	Small Stones	0.52	2.52
23.	Ceramic and other	0	0
24.	Human Hair	0	0
25.	Batteries	0	0
26.	Hazardous waste (if any)	0	0
27.	Total	20.67kg	100%

Report End

Checked By :

Authorized Signatory: PHOTRON LABORATORIES PVT. LTD. AUTHORISED SIGNATORY

lote:-
. The result given above are related to the tested sample, for various parameter as observed at the time of sampling.
. The customer asked for the above tests only.
. This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
. This test samples will be disposed off after one months from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.
. The Report can not be used as evidence in a court of a law without the written approval of the lab.

603

Submitted 1752-Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad, U.p Details for 01-04-2024

LOCATION DETAILS, STATION DETAILS,CORE PARAMETERS,BIO-MONITORING,GENERAL PARAMETERS, PESTICIDES, METALS.

A LOCATION DETAILS

Field	Value
SPCB/RO Name	UTTAR PRADESH
Sampling Date	01-04-2024
Sampling Time	10:28 AM
Station Code	1752
Name of Monitoring Stations	SAHIBABAD INDUSTRIAL AREA, GH/
Type of the Water Body	GROUND WATER
Name of the Water Body	WELL
River Basin	WELL
Name of Sub Basin	WELL
District	GHAZIABAD
State Name	UTTAR PRADESH
Name of Monitoring Agency	UTTAR PRADESH
Frequency of the Monitoring	HALF-YEARLY
Location Details	
Latitude	28.675322
Longitude	77.344944

USE OF WATER IN DOWN STREAM

- [ ] Irrigation
- [ ] Cultivation
- [x] Others
- [ ] Industrial
- [ ] Fishing
- [ ] Drinking Water Source
- [ ] Domestic
- [ ] Bathing Ghat
- [ ] Organized Water Source

HUMAN ACTIVITIES

- [ ] Bathing
- [ ] Fishing
- [ ] Tourism Spot
- [ ] Idol Emersion Wading
- [ ] Washing
- [ ] Boating
- [ ] Cattle Wading
- [ ] Cultivation
- [ ] Gardening
- [x] Others

STATION DETAILS

Field	Value
Use Based Class	A (Drinking Water source wit
Major Polluting Sources	None
Visible Effluent Discharges	None
Weather	Clear
Depth of Water Body (Metre)	Less than 50cm
Floating Matter	Yes
Colour	Clear
Odour	None

CORE PARAMETERS

Parameter	Value	BDL	Not Analysed
Water Temperature (°C)	20		[ ]
Dissolved Oxygen (mg/L)	00.0	[ ]	[x]
pH	7	[ ]	[ ]
Conductivity (μmho/cm)	2400	[ ]	[ ]
BOD (mg/L)	1.5	[ ]	[ ]
Nitrate-N (mg/L)	0.55	[ ]	[ ]
Nitrite-N (mg/L)	000.000	[ ]	[x]
Total Coliform (MPN/100ml)	1.8	[x]	[ ]
Fecal Coliform (MPN/100ml)	1.8	[x]	[ ]
Fecal Streptococci (MPN/100ml)	1.8	[x]	[ ]

NEW PARAMETERS

Parameter	Value	BDL	Not Analysed
Ammonical Nitrogen (NH4-N)		[ ]	[x]
Carbonate (CO3-)		[ ]	[x]
Bicarbonate (HCO3-)		[ ]	[x]
2,4-Dichlorophenocxyacetic acid		[ ]	[x]
Sulphate Endosulfan		[ ]	[x]
Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAH)		[ ]	[x]
Polychlorinated Biphenyls (PCB)		[ ]	[x]
Trihalomethanes (THM)		[ ]	[x]
Chlorophyll		[ ]	[x]
Total Plankton Count		[ ]	[x]
Productivity		[ ]	[x]
E.Coli*	1.8	[x]	[ ]

GENERAL PARAMETERS

Parameter	Value	BDL	Not Analysed
Turbidity (NTU)	1	[x]	[ ]
P-Alkalinity (mg/L)	5	[x]	[ ]
T-Alkalinity (mg/L)	190	[ ]	[ ]
Chlorides (mg/L)	550	[ ]	[ ]

Flow m³/Sec.			

BIO MONITORING

Parameter	Value	BDL	Not Analysed
Saprobity Index		☐ BDL	☒ Not Analysed
Diversity Index		☐ BDL	☒ Not Analysed
P/R Ratio		☐ BDL	☒ Not Analysed

METALS

Parameter	Value	BDL	Not Analysed
Arsenic (Total)(mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Cadmium(mg/L)	0.00042	☒ BDL	☐ Not Analysed
Copper(mg/L)	0.00035	☒ BDL	☐ Not Analysed
Lead(mg/L)	0.00031	☒ BDL	☐ Not Analysed
Chromium (Total)(mg/L)	1.2	☐ BDL	☐ Not Analysed
Nickel(mg/L)	0.00054	☒ BDL	☐ Not Analysed
Zinc(mg/L)	0.00059	☒ BDL	☐ Not Analysed
Mercury(mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Iron (Total)(mg/L)	2.3	☐ BDL	☐ Not Analysed
Aluminium(mg/L)		☒ BDL	☐ Not Analysed
Silver(mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Cobalt(mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Manganese(mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Molybdenum(mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Selenium(mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Cyanide(mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed

Any Other

POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS)

Parameter	Value	BDL	Not Analysed
Naphthalene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Acenaphthylene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Acenaphthene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Fluorene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Phenanthrene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed

Parameter	Value	BDL	Not Analysed
COD (mg/L)	5	☐ BDL	☐ Not Analysed
Total KJELDAHL-N (mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Ammonia Nitrogen (mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Total Hardness as CaCO3 (mg/L)	850	☐ BDL	☐ Not Analysed
Calcium as CaCO3 (mg/L)	588	☐ BDL	☐ Not Analysed
Magnesium as CaCO (mg/L)	262	☐ BDL	☐ Not Analysed
Sulphate (mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Sodium (mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Total Dissolved Solids (mg/L)	2070	☐ BDL	☐ Not Analysed
Total Fixed Solids (mg/L)	76	☐ BDL	☐ Not Analysed
Total Suspended Solids (mg/L)	48	☐ BDL	☐ Not Analysed
Total Phosphate (mg/L)	0.2	☒ BDL	☐ Not Analysed
Ortho Phosphate (mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Boron (mg/L)	0.5	☒ BDL	☐ Not Analysed
Potassium (mg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Fluoride (mg/L)	0.2	☒ BDL	☐ Not Analysed
% Sodium		☐ BDL	☒ Not Analysed
SAR		☐ BDL	☒ Not Analysed

Any Other

PESTICIDES

Parameter	Value	BDL	Not Analysed
Alpha HCH (µg/L)	0.05	☒ BDL	☐ Not Analysed
Beta HCH (µg/L)	0.05	☒ BDL	☐ Not Analysed
GAMMA HCH (Lindane) (µg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
Delta-HCH (µg/L)		☒ BDL	☐ Not Analysed
o,p'- DDE (µg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
p,p'- DDE (µg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
o,p'- DDD (µg/L)		☐ BDL	☒ Not Analysed
p,p'- DDD (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
OP-DDT (µg/L)	0.05	☒ BDL	☐ Not Analysed
PP-DDT (µg/L)	0.05	☒ BDL	☐ Not Analysed
Alpha Endosulphan (µg/L)	0.05	☒ BDL	☐ Not Analysed
Beta Endosulphan (µg/L)	0.05	☒ BDL	☐ Not Analysed
Aldrin (µg/L)	0.05	☒ BDL	☐ Not Analysed

Anthracene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Fluoranthene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Pyrene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Benzo(a)Anthracene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Chrysene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Benzo(b)Fluoranthene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Benzo(k)Fluoranthene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Benzo(a)Pyrene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Benzo(g,h,i)Perylene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Dibenzo(a,h)Anthracene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed
Indeno(1,2,3-Cd)Pyrene (µg/L)		☐ BDL	☐ Not Analysed

Dieldrin (µg/L)	0.05	☑ BDL	☐ Not Analysed
P-24D (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Chloropyriphos (µg/L)	0.5	☑ BDL	☐ Not Analysed
Carbamate (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Methyl Parathion (µg/L)	0.5	☑ BDL	☐ Not Analysed
Anilophos (µg/L)		☑ BDL	☐ Not Analysed
Isoprofuron (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Alachlor (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Atrazine (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Monochorotophos (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Ethion (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Phorate (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Butachlor (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Chlorandane (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Heptachlor (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Hexachlorobenzene (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Phosphamidon (µg/L)		☐ BDL	☑ Not Analysed
Malathian (µg/L)	0.5	☑ BDL	☐ Not Analysed

महत्वपूर्ण

संख्याः–2307 / नौ–5–2025–34रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–जिलाधिकारी, हापुड़।
2–पुलिस अधीक्षक, हापुड़।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 05 मई, 2025

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या–75 / 2023 (आई0ए0 नं0 645 / 2023), Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–एन0जी0टी0–93 / नौ–5–2025–34रिट / 2023 दिनांक 12.03.2025, अनुस्मारक पत्र संख्या–एन0जी0टी0–93(1) / नौ–5–2025–34रिट / 2023 दिनांक 03.04.2025, द्वितीय अनुस्मारक पत्र संख्या–एन0जी0टी0–93(2) / नौ–5–2025–34रिट / 2023 दिनांक 16.04.2025 एवं तृतीय अनुस्मारक पत्र संख्या–एन0जी0टी0–93(3) / नौ–5–2025–34रिट / 2023 दिनांक 24.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.23/2023 In ओ0ए0 संख्या–75 / 2023, Jaishree Bansal Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अभी तक प्राप्त है। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 09.05.2025 को नियत है।**

2– अवगत कराना है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या–75 / न0आ0 / 2025–26 दिनांक 02.05.2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में ग्राम गालन्द में 44.25 एकड भूमि पर वेस्ट–टू–एनर्जी प्लान्ट की स्थापना हेतु कब्जा प्राप्त करने के संबंध में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान / शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,
05.05.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद हापुड़।

पत्रांकः–रिट–मेमो(एनजीटी)/2025 दिनांकः–मई, 6 2025

सेवा में,

सयुक्त सचित,
नगर विकास अनुभाग–5,
लखनऊ,उ0प्र0 शासन।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Execution Application N0. 23/2023 in O.A. NO. 75/2023 JAISHREE Bansal vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board** व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन के संबध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः–एन0जी0टी0–93/नौ–5–2025–34रिट/2023 दिनांक 12.03.2025 का सदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application N0. 23/2023 in O.A. NO. 75/2023 JAISHREE Bansal vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में समस्त वाछित कार्यवाही पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही की आाख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी पिलखुवा जनपद हापुड से प्राप्त आख्यानुसार संबधित ग्राम गालद व पिपलेहडा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के संबंध में ग्राम गालंद व पिपलेहडा के ग्राम वासियों एवं जन कल्याण समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों के साथ बैठक दिनांक 18.10.2024 को कलेक्ट्रेट हापुड स्थित सभागार कक्ष में जिलाधिकारी हापुड की अध्यक्षता में अधोहस्ताक्षरी आदि एवं ग्राम गालद व पिपलेहडा के ग्राम वासियों एवं जन कल्याण समिति व ग्राम गालन्द के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया उक्त बैठक में ग्राम गालद व पिपलेहडा के ग्राम वासियों एव जन कल्याण समिति व ग्राम गालद के सदस्यों द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का विरोध किया गया। नगर आयुक्त महोदय गाजियाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी हापुड एव अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी ग्रामवासियों को देश में अन्य स्थानों/राज्यों में स्थापित वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट का भ्रमण कर वेस्ट टू एनर्जी प्रावधानों के बारे में जानने के लिये प्रेरित किया गया। जिलाधिकारी हापुड एव अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे होने वाले लाभ एवं सुविधाओं के बारे में काफी समझाने का प्रयास किया गया परन्तु ग्रामवासी सहमत नही हुये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि थाना पिलखुवा हापुड की आख्यानुसार पूर्व में भी ग्राम गालंद में डम्पिंग ग्राउण्ड करने का प्रयास किया गया जिस पर काफी धरना प्रदर्शन हुये थे। डम्पिंग ग्राउण्ड के चारों तरफ बाउण्ड्री बॉल को धवस्त कर दिया गया था। तथा वर्तमान में वहाँ पर डम्पिंग ग्राउण्ड बनाने का बहुत विरोध है। जिसमें राजनैतिक पार्टीयों की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की प्रबल सभावना है। ऐसी स्थिति में विधिक दृष्टि से भी और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी उक्त डम्पिग ग्राउण्ड के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना उचित नही होगा।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये गाजियाबाद में ही किसी स्थान पर डम्पिग ग्राउण्ड बनाने का निर्णय लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, यदि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में कभी भी किसी भी परिस्थति में शाति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल की आवश्यकता पडने पर शाति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पारित आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा। मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी पिलखुवा जनपद, हापुड तथा थाना प्रभारी पिलखुवा/धौलाना, हापुड को उपरोक्त सम्बन्ध में गोष्ठी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि जन कल्याण किसान वेलफेंयर समिति के अध्यक्ष राजू उर्फ राजीव तोमर ग्राम गालन्द एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका पी0आई0एल0 संख्या–2281/2021 योजित की गयी है, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है तथा अग्रिम नियत तिथि 09.07.2025 है। प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित उपरोक्त याचिका में पारित आदेशों के फलस्वरूप तदनुसार कार्यवाही किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।

सलग्नः—यथोपरि।

पुलिस अधीक्षक
जनपद हापुड।

प्रतिलिपिः—निदेशक/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन—नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।